न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 12/2024
अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. विक्रम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र जयमल राम जाति जाट निवासी फतेहगढ़।
4. मुखराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
5. दीपचन्द पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**

निर्णय **दिनांकः** 03/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1380 है0 कृषि भूमि सायलान व गैरसायलान की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

गैरसायल संख्या 5 ने जरिये बैयनामा दिनांक 18.03.2024 को रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.1380 है0 भूमि में से 0.4256 है0 भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 से खरीद की है इस प्रकार उपरोक्त भूमि का गैरसायल संख्या 5 की खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा सायला संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 18.03.2024 को गैरसायल संख्या 1 व 2 से 0.4256 है0 भूमि खरीद की है राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम व पता सुमित्रा पत्नी कृष्णराम जाति जाट निवासी सोनड़ी दर्ज है जबकि बैयनामा के अनुसार वादीया का सही नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी 1 आरपीएम रतनपुरा दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जावे।

रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के प0 नं0 31[illegible] के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 6 के [illegible] में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 15 के मिन मध्य में 20x12[illegible] फुट उत्तर से दक्षिण [illegible] है0 भूमि पर सायलान व गैरसायल आवागमन करते आ रहे [illegible] लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। सायलान व गैरसायलान गांव की फिरनी से होते हुए अपने खेत रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 89/90 के किला नं. 5 के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 6 के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 15 के मिन मध्य में 20x123 फुट उत्तर से दक्षिण 0.023 है0 भूमि में से होते हुए अपने खेत में पहूँचते है तथा उक्त तीनो किलों में रास्ता स्वीकृत होने से दोनो तरफ के सभी काश्तकारों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

सायलान व गैरसायलान संख्या 1 ता 5 उपरोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार गैरसायल संख्या 1 व 2 के हिस्से की भूमि में से रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 89/90 के किला नं. 5 के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 6 के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 15 के मिन मध्य में 20x123 फुट उत्तर से दक्षिण 0.023 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है उक्त रास्ता आपसी सहमति से चालु है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिए सायलान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 89/90 के किला नं. 5 के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 6 के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 15 के मिन मध्य में 20x123 फुट उत्तर से दक्षिण 0.023 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जावे एवं रास्ता के बदले की भूमि में प्रार्थी के चिपते हुई भूमि अप्रार्थी के खाता से कम की जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा प्रार्थीया संख्या 1 का नाम मुताबिक बैयनामा दुरूस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार [illegible] रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के [illegible] खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1380 है0 कृषि भूमि सायलान व गैरसायलान की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक प्रार्थी संख्या 1 का नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल दर्ज है गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 89/90 के किला नं. 5 के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 6 के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 15 के मिन मध्य में 20x123 फुट उत्तर से दक्षिण 0.023 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा मुताबिक नजरिया नक्शा तरमीम किया जाकर उक्त रास्ता की भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 के हिस्से में से ब0 हि0 ब0 कम किया की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीया संख्या 1 का सही नाम व पता सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा दर्ज किया जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर / रास्ता / 2023 / 407

दिनांकः– 07/05/24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–12 / 2024 निर्णय दिनांक 03/05/24

प्रकरण संख्या – 12 / 2024
अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. विक्रम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र जयमल राम जाति जाट निवासी फतेहगढ़।
4. मुखराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
5. दीपचन्द पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 25 / 2023 अनवान धनपत बनाम रामकुमार आदि में निर्णय दिनांक 03/5/24 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 89 / 90 के किला नं. 5 के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 6 के मिन मध्य में 20x165 फुट उत्तर से दक्षिण 0.031 है0, किला नं. 15 के मिन मध्य में 20x123 फुट उत्तर से दक्षिण 0.023 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा मुताबिक नजरिया नक्शा तरमीम किया जाकर उक्त रास्ता की भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 के हिस्से में से ब0 हि0 ब0 कम किया की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं प्रार्थीया संख्या 1 का सही नाम व पता सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:24 IST
Reason: SelfAttested